ायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

ठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

जस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 28/2016

CMS No. : 2016/00543

–:: प्रार्थी ::–

1. कंवरीलाल पुत्र भंवरलाल जाति– माली(भाटी), निवासी– भाटीयों का बास जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राजस्थान,

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. भंवरलाल पुत्र लालाराम
2. सेवाराम पुत्र भंवरलाल
3. पन्नालाल पुत्र भंवरलाल
4. श्यामलाल पुत्र भंवरलाल जातियान– माली(भाटी), निवासी– भाटीयों का बास जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0,
5. संतोष पुत्री भंवरलाल जाति– माली(भाटी), निवासी– भाटीयों का बास जैतारण, हाल निवासी– आगेवा रोड़, जैतारण रोड़, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0,
6. किशनलाल पुत्र लालाराम
7. रामलाल पुत्र लालाराम
8. रामपाल पुत्र लालाराम जातियान– माली(भाटी), निवासी– भाटीयों का बास जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0,
9. तहसीलदार, जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 17/02/2016

उपस्थितः– 1.श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।

2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, महेन्द्र कुमार गुंरा, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 29/06/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल व गैरसायलान संख्या 01 से लगायत 12 सभी स्वर्गीय पोकरराम वल्द गुला जाति माली निवासी जैतारण के वंशज है। सायल व गैरसायलान संख्या 01 से लगायत 12 सभी पोकरराम जी के वंशज है एवं हिन्दू धर्म के अनुयायी है एवं सायल व गैरसायलान संख्या 01 से 12 पर हिन्दू विधि लागू होती है। सायल के पिता भंवरलाल की शादी सीतोदेवी पुत्री पूनाराम जाति माली निवासी मेघड़दा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

ोल रायपुर जिला पाली के साथ हुई थी तत्पश्चात सीतादेवी व भंवरलाल जी बतौर पत्नी के रहे जिससे सायल कंवरीलाल पैदा हुआ था। सायल कंवरीलाल करीब 8 10 माह की उम्र के थे उसी दौरान सायल की जन्मत माता सीतादेवी व पिता रलाल के बीच आपसी वैचारिक मतभेद हो गया था, तत्पश्चात लगभग 01 वर्ष के सीतादेवी व भंवरलाल ने आपसी सामाजिक रिति रिवाज अनुसार छुट्टनी/विवाह च्छेद कर लिया था। उस समय भंवरलाल एवं सायल के दादा लालाराम ने सायल बतौर अपने पुत्र-पौत्र के रूप में अपने पास ही रखा था, उस समय सायल का लन पोषण व देखभाल सायल कंवरीलाल की दादी हंजाबाई ने किया था। तदुपरान्त ायल के पिता भंवरलाल ने माफिक हिन्दू रिति रिवाज अनुसार लगभग 02 वर्ष बाद णदाई पुत्री सालगराम जाति माली गहलोत निवासी ग्राम बलून्दा तहसील जैतारण के ाथ में द्वितीय विवाह कर लिया था। तत्पश्चात अणदाईदेवी व सायल के पिता भंवरलाल के पति पत्नी के रूम में साथ रहते हुए गैरसायलान संख्या 02 से लगायत 05 का जन्म हुआ था। इस प्रकार से सायल एवं गैरसायलान संख्या 02 से लगायत 05 सभी गैरसायलान संख्या 01 भंवरलाल के जायन्दा पुत्रगण व पुत्री है। तथा उक्त सभी लालाराम के पोत्र व पोकरराम वल्द गुलाजी के प्रपोत्र है। सायल के दादा लालाराम व उनके भाईयो एवं परदादा पोकरराम वल्द गुलाजी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा रतनपुरा पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण में स्थित भूमि खसरा संख्या 14 रकबा 27-18 बीघा, खसरा संख्या 19 रकबा 15-11 बीघा, खसरा संख्या 20 रकबा 08-10 बीघा, खसरा संख्या 22 रकबा 06-09 बीघा, खसरा संख्या 23 रकबा 31-15 बीघा, खसरा संख्या 24 रकबा 35-18 बीघा, खसरा संख्या 25 रकबा 13-07 बीघा, खसरा संख्या 26 रकबा 06-18 बीघा कुल खसरा संख्या 08 कुल रकबा 146-06 बीघा की भूमि आई हुई थी। जिसमें पोकर वल्द गुला का 1/6 वां हिस्सा था जो जमाबंदी संवत 2017 से लगायत 2032 की जमाबंदीयो में दर्ज है। तत्पश्चात जरिए नामान्तरण संख्या 33 जिसे बाद में ऑवर राईटिंग करते हुए 35 किया गया जो दिनांक 05. 04.1973 के अनुसार उक्त भूमि पोकरराम के तीनो जायन्दा पुत्र क्रमशः लालाराम, सलाराम, चुन्नीलाल पिसरान पोकरराम के नाम दर्ज हुई थी। इसका अंकन भी जमाबंदी संवत् 2029 से 2032 में किया हुआ है। नकल नामान्तरण संख्या 33 जिसे बाद में ऑवर राईटिंग करते हुए 35 किया गया, जो ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का जैतारण इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है इस प्रकार से उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या की भूमि में से 1/6 वे हिस्से की भूमि सायल के पूर्वजो की थी, जिसमें से सलाराम वल्द पोकरराम निसंतान फौत हो गये थे, तथा उन्होने अपने जीवन काल में अपनी हक हिस्से की भूमि की कोई वसीयत, बख्शीश व हस्तान्तरण एवं गोदनामा भी किसी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित नही किया [illegible] से उनके हक हिस्से की भूमि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के [illegible] लालाराम, चुन्नीलाल पिसरान पोकरराम को प्राप्त हुई थी। इस प्रकार से [illegible] वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में सायल के दादा लालाराम का 1/12 वां भाग [illegible] हिस्सा व अधिकार था। व शेष 1/12 वां हिस्सा चुन्नीलाल पुत्र पोकरराम को प्राप्त हुआ था। इन पर उपरोक्त वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

रा नम्बरान की भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट या जायेगा। व उक्त वादग्रस्त भूमि लालाराम के जीवनकाल में ही अन्य हिस्सेदारो मौके पर अलग से बंटी हुई थी। परन्तु राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा नही होने से भूमि मलाति ही दर्ज रही थी। सायल अपने पिता गैरसायलान संख्या 01 की पूर्व पत्नी तादेवी का पुत्र है तत्पश्चात गैरसायलान संख्या 01 ने अणदाई से विवाह कर लिया । जिससे गैरसायलान संख्या 02 से लगायत 05 का जन्म हुआ था। इस प्रकार गैरसायलान संख्या 01 अपनी द्वितीय शादी के बाद से ही अपनी द्वितीय पत्नी णदाई के सिखावट व बहकावट में आ गये, तथा शुरू से ही उन्होने सायल को सकी पैतृक पुश्तैनी जायदाद से हमेशा हमेशा के लिए वंचित करने की योजना बना ी थी। तब इसी मंशा से सायल के दादा लालाराम के जीवनकाल में ही गैरसायलान संख्या 01 ने सायल को अपनी पैतृक पुश्तैनी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित वादग्रस्त जायदाद से वंचित करने की योजना बना ली थी। एवं लालाराम के जीवन काल में ही तत्कालीन पटवारी व सरपंच से मिलकर ही एक कुटरचित नामान्तरण संख्या 35/1 ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का जैतारण के नाम से दिनांक 26.05.1974 को तैयार करवाया, जिसमें 3/- रूपये के स्टाम्प पर आपसी लिखत बंटवाड़ा का उल्लेख करते हुए वादग्रस्त भूमि से 1/12 वां हिस्सा अकेले गैरसायलान 08 रामपाल पुत्र लालाराम के नाम 1/12 वां हिस्सा व गैरसायलान संख्या 06 किशनलाल जो कि लालाराम जी के पुत्र है उन्हें भी किशनलाल पुत्र सलाराम के रुप में दर्शाते हुये 1/12 वां हिस्सा का अंकन करवाकर उक्त नामान्तरणकरण संख्या 35/1 तत्कालीन हल्का पटवारी से तैयार करवाकर सरपंच से स्वीकृत करवा लिया। जबकि इस प्रकार के बंटवाड़े का म्युटेशन तैयार करने एवं स्वीकृत करने में हल्का पटवारी व तत्कालीन सरपंच कतई सक्षम नहीं थे, इस प्रकार का बंटवाड़ा या तो सक्षम न्यायालय की डिक्री से किया जा सकता है या फिर भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी तहसीलदार द्वारा ही किया जा सकता है, हल्का पटवारी या सरपंच ग्राम पंचायत जैतारण नामान्तरणकरण संख्या 35/1 तैयार कर स्वीकार करने में कतई सक्षम नही थे, इस प्रकार से उक्त नामान्तरणकरण संख्या 35/1 दिनांक 26.05.1974 विधिक प्रावधानों से विपरित होने एवं कुटरचित दस्तावेज होने से काबिल अपास्त के होने से निरस्त घोषित किया जावे। सायल के दादा लालाराम जी सायल के समझ आने के बाद से ही हमेशा ही सायल के शामलाति ही रहे थे, तथा उन्होने अपने जीवन काल में दिनांक 16.06.1972 या अन्य किसी दिन इस प्रकार का कोई लिखत बंटवाड़ा तकमील नहीं किया था। न ही लालाराम जी के जीवन काल में इस वादग्रस्त भूमि के बाबत कोई बंटवाड़ा लिखा गया था। फिर भी सायल को उसकी पैतृक पुश्तैनी जायदाद से वंचित करने की नियत से नामान्तरणकरण संख्या 35/1 ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का जैतारण की का[illegible] की है, जो कतई गलत है। लालाराम जी का स्वर्गवास आज [illegible] लालाराम जी के जीवन काल से सायल अपनी पैतृक [illegible] में माफिक अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। त[illegible] नामान्तरणकरण संख्या 35/1 के जरिये भूमि कुटरचित तरीके से किशनलाल व रामपाल के नाम दर्ज की गई है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:25 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

का अंकन संवत 2029 से 2032 व उसके बाद की जमाबंदीयों में है। उक्त न्तरणकरण संख्या 35/1 विधिक प्रावधानों के विपरित है, एवं यदि उक्त दस्तावेज तत्व में रह जाता है तो वादग्रस्त भूमि में सायल के हक व अधिकार हमेशा शा के लिए समाप्त हो जाते है, इसलिए भी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत उक्त मान्तरणकरण संख्या 35/1 दिनांक 26.05.1974 काबिल अपास्त के होने से ास्त किया जावे। वादग्रस्त भूमि में 1/12 वां हक हिस्सा लालाराम वल्द पोकर जी था, लालाराम जी के कुल 08 विधिक वारिसान है इस प्रकार से इस वादग्रस्त मि में सायल के पिता जी भंवरलाल जी का 1/12 वां का 1/8 हिस्सा यानि कुल ा 1/96 वां हक हिस्सा व अधिकार होता है तथा सायल अपने पिता भंवरलाल जी हक हिस्से की भूमि में माफिक पुश्तैनी हक व अधिकारों के अनुसार अपना हिस्सा ाप्त करने का अधिकारी है, व इसी माफिक अपने हक हिस्से की आराजी का सायल बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कराने का भी विधिक रूप से अधिकारी है। इस बाबत सायल ने अपने पिता गैरसायलान संख्या 01 भंवरलाल व दिगर गैरसायलान से कई बार उपर वर्णित भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कराने हेतु निवेदन किया परन्तु गैरसायलान हमेशा टालमटोल करते रहे है, व उसके बाद दिनांक 05.01.2016 को गैरसायलान ने इस प्रकार का वादग्रसत भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा कराने से स्पष्ट रूप से इन्कार भी कर दिया है, जिस पर यह प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाड़ा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। वादग्रस्त भूमि सायल की पैतृक व पुश्तैनी है जिसके 1/6 वे हक हिस्से के वक्त सेटलमेंट के समय काबिज खातेदार खातेदार पोकरराम वल्द गुला जी थे, तदुपरान्त उनके फौत होने पर उनके जायन्दा पुत्र सायल के दादा लालाराम जी व उनके भाई सलाराम व चुन्नीलाल जी काबिज हुये थे, जिनमें से सलाराम जी निसंतान फौत हो गये, जिस पर सायल के दादा लालाराम जी को इस जायदाद में 1/12 वां हक हिस्सा व अधिकार मिला था। व इसी माफिक सायल भी अपने खातेदारी हक हिस्से व अधिकारी की भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है, एवं उक्त भूमि सायल की पैतृक व पुश्तैनी भी है। जिस पर सायल को बाई बर्थ (जन्मत) हक व अधिकार भी प्राप्त है। एवं उक्त सायल के पुश्तैनी हक व अधिकार गैरसायलान द्वारा करवाई गई कुटरचित प्रविष्टियों से भी समाप्त नहीं होते है, एवं सायलगण माफिक अपने हक व हिस्से अनुसार इस वादग्रस्त भूमि में अपने खातेदारी हक व अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र बाबत घोषणा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। वादग्रस्त भूमि सायल एवं गैरसायलान संख्या 01 से लगायत 12 की पैतृक व पुश्तैनी है, जिस पर सायल को बाई बर्थ (जन्मत) हक व अधिकार भी प्राप्त है, लेकिन गैरसायलान संख्या 01 व दिगर गैरसायलान इस भूमि से सायल को वंचित करना चाह रहे है, इसी नियत से गैरसायलान सायल [illegible] आराजी से बेकाबिज कर भूमि को जरिये रहन बेचान वसीयत के अन्य हस्तान्तरण [illegible] को भी आमादा है, व इसी बाबत दिनांक 05.01.2016 को गैरसायलान [illegible] 01 ने सायल को ऐलानिया कथन भी किया कि वह इस जमीन में सायल को कोई हक हिस्सा व अधिकार नही देगा एवं अपने भाईयों से मिलकर जमीन किसी अजनबी क्रेता के नाम बेचान करवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

ा। तब सायल द्वारा समझाईश करने के बावजूद भी गैरसायलान नहीं मान रहे है प्रकार से यदि गैरसायलान उक्त अवैधानिक कृत्य करने में सफल हो गये तो यल हमेशा हमेशा लिये अपनी इस पुश्तैनी जायदाद से वंचित हो जायेगा जिससे यल को असीम क्षति होगी। तब अजनबी केता इस जायदाद पर कब्जा करने का प्रयास करेगें। तब सायल उनके ऐसे अवैधानिक कब्जे की कार्यवाही का विरोध रेगा जिससे विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। तब ऐसी विषम रिस्थितियों में सायल के पास यह प्रार्थना पत्र पेश करने के आलावा अन्य कोई कल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध रसायलान के पेश है। समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व दस्तावेजात एवं मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टिया मामला सायलान के पक्ष में खूबी प्रमाणित हैं, यदि गैरसायलान ने जबरदस्ती सायलान को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा व अजनबी क्रेता को बेचान करने व अन्य हस्तान्तरण कर दिया या उनके हक हिस्से की भूमि कब्जा काश्त में बाधा दखलंदाजी हस्तक्षेप किया तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी। एवं होने वाली क्षति का मूल्यांकन किसी भी सूरत में संभव नही है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश है।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 08 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी संख्या 01 से 08 ने जवाब प्रार्थना-पत्र पेश कर यह अभिकथन किया कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक का जबाब है कि इस पद में वर्णित तथ्य गलत, झूठे होने से अस्वीकार है। सायल ने जो वंश वृक्षावली इस पद में अंकित की है। उसमे बाकी सभी वर्णित तो सही है परन्तु सायल कंवरीलाल ने अपने को इस वंश वृक्षावली में शामिल किया है वह बिल्कुल गलत है। गैरसायल भंवरलाल भाटी के कंवरीलाल नाम का कोई पुत्र पैदा ही नहीं हुआ, न कंवरीलाल पोकरजी, लालारामजी के परिवार का सदस्य रहा, न आज दिन है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या दो का जबाब है कि इस पद में वर्णित तमाम तथ्य गलत, बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। गैरसायल भंवरलाल भाटी का न तो सायल पुत्र है न इनके बीच कोई सम्बन्ध कभी रहे। सायल का यह कथन बिल्कुल ही गलत है कि गैरसायल भंवरलाल भाटी की शादी किसी कथाकथित सीतादेवी माली पुत्री पुनाराम निवासी मेघडदा के साथ हुई हो तथा सीतादेवी व भंवरलाल के कभी पति पत्नी के सम्बन्ध रहे हो और उन सम्बन्धों के चलते सायल कंवरीलाल पैदा हुआ है। गैरसायल भंवरलाल भाटी ने जब सीतादेवी माली के साथ कभी विवाह किया ही नहीं तो उनके बीच विचारिक मतभेद होने का कथन गलत अंकित किया है जब विवाह ही नहीं तो विवाह विच्छेद छुटतणी करने का प्रशन ही नहीं उठता। गैरसायल भंवरलाल व पिता लालाराम ने कभी भी सायल कंवरीलाल का न तो पालन पोषण किया न उसे अपने पास रखा। लालारामजी व हंजाबाई का सायल कभी भी पौत्र ही नही था न है तो गैरसायल के माता पिता द्वारा सायल को पालने पोषण का कथन ही सिरे से खारिज किये जाने योग्य है। गैरसायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

लाल ने अपने जीवन में एक ही बार विवाह किया था जो अणदाई पुत्री सालाराम निवासी बलून्दा के साथ किया था जो गैरसायल का प्रथम विवाह था द्वितीय ह नही था। अणदाई और गैरसायल भंवरलाल के विवाहित सम्बन्धो से कुल चार ाने पैदा हुई जो गैरसायल संख्या दो से पांच सेवाराम, पन्नालाल, श्यामलाल, पुत्र तथा संतोष पुत्री है उक्त तथ्यों के अलावा प्रार्थनापत्र के इस पद मे सायल द्वारा केत तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 03 मे र्णत तमाम तथ्य गलत बेबुनियाद होने से अस्वीकार है इस पद मे वर्णित तमाम सरा नम्बरान् की कृषि भूमि कभी भी गैरसायल भंवरलाल भाटी के नाम राजस्व कर्ड में दर्ज नही रही और न वादग्रस्त खसरा नम्बरान मे गैरसायल भंवरलाल के ाम हक हिस्सा रहा न ही है गैरसायल भंवरलाल के पूर्वजो के नाम कृषि भूमि अवश्य थी जिस नामान्तरण करण संख्या 33 को ओवर राईटिंग करके 35 नम्बर किया गया वह तथ्य बिल्कुल ही गलत व काल्पनिक है सायल जब पोकरजी लालाराम जी व गैरसायल भंवरलाल के यहां पैदा ही नही हुआ तो उसे वादग्रस्त कृषि भूमि मे भी कानूनन भी हक हिस्सा प्राप्त नही होता है। उक्त तथ्यों के अलावा प्रार्थनापत्र में सायल द्वारा वर्णित तमाम तय गलत व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या चार में वर्णित तमाम तथ्य गलत व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। सायल व गैरसायल गंवरलाल के बीच कभी भी पिता पुत्र का रिश्ता रहा न है। अणदाई व गैरसायल भंवरलाल आज दिन भी पति पत्नी होकर साथ में रह रहे है। इसलिए किसी भी तरह की सिखावट व बहकावट में आने का कथन गलत किया गया है। गैरसायल भंवरलाल की पैतृक पुश्तैनी जायदाद मे सायल का कोई हक हिस्सा व अधिकार कभी था ही नही न उसे कानूनन मिल सकता है तो सायल को जायदाद से वंचित करने की ़योजना बनाने का प्रशन ही ऩही उठता। लालाराम जी के जीवनकाल में तत्कालीन पटवारी व सरपंच से मिलकर कोई कूटरचित नामान्तरण संख्या 35/01 दिनांक 26/01/1974 को तैयार करने का कथन वाद में बिल्कुल गलत अंकित किया गया है। 3 रूपये के स्टाम्प पेपर पर आपसी लिखित व बटवाडे के बाबत् लिखा गया है उसकी जानकारी गैरसायल भंवरलाल को नही है। सायल का यह कथन बिल्कुल ही गलत है कि म्युटेशन संख्या 35/01 को स्वीकृत करने का अधिकार पटवारी व सरपंच को नही है बल्कि पटवारी व सरपंच म्युटेशन स्वीकृत करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत थे म्युटेशन संख्या 35/01 कतई कुटरचित दस्तावेज नहीं है न उक्त दस्तावेज को अपास्त व निरस्त किया जा सकता है न ही करवाया जा सकता है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 05 मे वर्णित तमाम तथ्य गलत व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। सायल न तो गैरसायल भंवरलाल का पुत्र है न ही स्वर्गीय लालारामजी सायल के दादा थे तो सायल के सामलाति [illegible] का प्रश्न ही नहीं उठता। गैरसायल भंवरलाल के पिता लालाराम ने अपने जीवनकाल में कोई [illegible] बंटवाडा तकमील किया था या नहीं इसकी जानकारी गैरसायल [illegible] का गैरसायलान की पैतृक पुश्तैनी भूमि व जायदाद मे कोई हक हिस्सा [illegible] था न है और न उसे प्राप्त हो सकता है। म्युटेशन संख्या 35/01 जो भरा ग[illegible] वह विधिक प्रावधानों के विपरीत कतई नहीं है तथा म्युटेशन कतई अपास्त करने योग्य नहीं है क्योकि वह वास्तविक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

्नी दस्तावेज है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या छह का जबाब है कि इस पद में वर्णित म तथ्य गलत व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। गैरसायल भंवरलाल न तो यल का पिता है न गैरसायल भंवरलाल का वादग्रस्त भूमि मे हक हिस्सा रहा न है सायल जबरदस्ती गैरकानूनी रूप से पुत्र बनकर हक, हिस्सा व अधिकार प्राप्त नहीं र सकता, सायल का वादग्रस्त कृषि भूमि से कोई लेना देना ही नहीं है तो उसे ई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा कराने का भी विधिक रूप से कोई अधिकार ही है। सायल व गैरसायल भंवरलाल व अन्य गैरसायल के मध्य जब कभी भी कोई ्श्ता रहा ही नही तो उनको बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करने की बात कहना, गैरसायल द्वारा टालमटोल करने का कोई प्रशन ही नही उठ्ता। दिनांक 05/01/2016 को या कभी भी गैरसायलान् व सायल कंवरीलाल के बीच कोई बात नही हुई व सायल का वादग्रस्त भूमि मे अधिकार ही नही है तो उसको बंटवाडा करने का स्पष्ट रूप से मना करने का प्रशन ही नही उठ्ता है। सायल का वाद गलत तथ्यों पर होने से सायल का प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या सात का जबाब है कि इस पद मे वर्णित तमाम तथ्य गलत बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त कृषि भूमि सायल की पैतृक पुश्तैनी भूमि कभी नहीं रही पोकरराम वल्द गुलाजी और उसके सम्पूर्ण परिवार से सायल का कोई लेना देना नहीं है सायल का उक्त भूमि से कोई रिश्ता है तथा न ही उक्त परिवार में जन्म लिया तो सायल को बाई बर्थ जन्म व अधिकार प्राप्त होने का कोई सवाल ही नहीं उठ्ता सायल को वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत् किसी तरह का वाद या घोषणा का वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र लाने का कोई अधिकार नहीं है प्रार्थनापत्र गलत किया गया है जो कानूनन गलत होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या आठ व नो का जबाब है कि इन पदो में वर्णित तमाम तथ्य गलत व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। सायल को बार बार वादग्रस्त भूमि पैतृक पुश्तैनी लिख देने मात्र से ही उसे वादग्रस्त कृषि भूमि मे उसे हक हिस्सा नही मिल जाता और गैरसायल को उनकी भूमि बाबत् रहन, बेचान हस्तान्तरण करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। सायल के साथ गैरसायलान् के भाई सम्बन्ध है ही नहीं तो उसको कृषि भूमि मे किसी तरह का कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न नही होता। लालाराम के जीवनकाल मे जो कृषि भूमि किशनलाल व रामलाल जी के नाम दर्ज की गई व बिल्कुल ही सही दर्ज की गई व कोई गलत तरीका इस्तेमाल नही किया गया था। सायल को यह प्रार्थनापत्र पेश करने का कभी भी कोई वाद हेतुक उत्पन्न नही होता, न उसे कानूनन उसे कोई भूमि मे अधिकार मिलते है। प्रार्थनापत्र गलत किया गया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। सायल का कोई प्रथम दृष्टिया मामला प्रमाणित [illegible] अपूर्णनीय क्षति हो रही है क्योकि वादग्रस्त सम्पति मे सायला का कोई [illegible] निहित नही है न सुविधा का संतुलन ही सायल के पक्ष में [illegible] गैरसायलान् के अवश्य पक्षमे है। प्रार्थनापत्र गलत तथ्यों [illegible] किया है जो कानूनन चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

बहस वकुलाय की राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का ोकन किया और उस उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण का बिंदूवार ्न निम्नानुसार है :-

) **प्रथम–दृष्ट्या मामला :–** प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खातेदारी अधिकारो की ्णा एवं बंटवाड़ा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र ् कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 से 12 स्वर्गीय पोकरराम वल्द ाजी भाटी माली के वंशज है। जिन पर हिन्दू विधि लागू होती है। प्रार्थी पिता वरलालजी एवं माता सीतादेवी की संतान है, तथा अप्रार्थी संख्या 02 से 05 पिता वरलालजी एवं इनकी द्वितीय पत्नी अणदाई देवी की संतान है। वादग्रस्त आराजी ार्थी के दादा लालाराम एवं इनके भाईयो तथा परदादा पोकरराम की पुश्तैनी आराजी ै। वादग्रस्त आरांजी में प्रार्थी के पिता भंवरलालजी का 1/12 का 1/8 वां हिस्सा अर्थात् 1/96 वां हिस्सा है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थी का भी जन्म से हिस्सा निहित है जिसे प्रार्थी घोषित करवाने एवं बंट्वाड़े करवाने का अधिकारी होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित है।

अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वंशवंशावली को सही मानते हुए अन्य कथनो का खण्डन करते हुए प्रार्थी को अप्रार्थी भंवरलाल भाटी का जायन्दा पुत्र मानने से इंकार किया तथा यह भी कथन किया कि भंवरलाल भाटी की शादी किसी सीतादेवी माली पुत्री पुनाराम निवासी मेघड़दा से नही हुई थी। भंवरलाल भाटी का बलून्दा निवासी अणदाई से एकमात्र विवाह हुआ था। अतः प्रार्थी का प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया मामला निहित नही होता है।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात् यथा– वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2017 से 2020 में पोकर वल्द गुला बतौर सहखातेदार दर्ज है, जमाबंदी संवत 2029 से 2032 के अंकन अनुसार पोकर वल्द गुला के साथ स्थान पर सलाराम, लालाराम व चुन्नीलाल अंकित किए गए तत्पश्चात आगामी जमाबंदीयो में इनके वारिसान का नाम दर्ज होकर वर्तमान में अप्रार्थी भंवरलाल बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नगरपालिका जैतारण से जारी परिवार राशन कार्ड संख्या 200000139036 जो कि कंवरीलाल भाटी पुत्र भंवरलाल भाटी निवासी वार्ड संख्या 6 जैतारण के नाम जारी है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रार्थी के नाम जारी पहचान पत्र, प्रार्थी के आधार कार्ड, प्रार्थी के पैन कार्ड, प्रार्थी के वाहन लाईसेंस एवं कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा जारी प्रार्थी के नाम अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र में प्रार्थी के पिता का नाम भंवरलाल एवं निवास स्थान भाटियो का बास जैतारण अंकित है। अतः मूल वादपत्र के अनुतोष की गुणावगुण के आधार पर किसी प्रकार की टिप्पणी किए बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निहित है लिहाजा यह बिंदू प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(02) **सुविधा का संतुलन :–** बिन्दू संख्या 1 प्रार्थी के पक्ष में निर्णित हुआ है साथ ही प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी में जन्म के आधार पर निहित अपने हक हिस्से की घोषणा बाबत् अनुतोष चाहा है, अतः अपने वांछित हक हिस्से तक सुविधा का संतुलन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

के पक्ष में माना जा सकता है, अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

) अपूर्णनीय **क्षति** :- पूर्व विवेचित बिन्दु संख्या 01 एवं 02 प्रार्थी के पक्ष मे निर्णित हुए है। चूंकि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत् अनुतोष चाहा है तथा यदि वाद निर्णय तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जाता है तो यह पूर्ण संभावना है कि भू अभिलेखीय प्रविष्टियो के आधार पर वादग्रस्त आराजी का बैचान, हस्तान्तरण आदि हो सकता है जिससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना संभव है जिससे अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को ही हो सकती है अतः यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी/वादी का प्रार्थना-पत्र सारवान होनें से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसलावाद अस्थाई निषेधाज्ञा से निरूद्ध किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-:: *आदेश* ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा, 212 राजस्थाना काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसलावाद पाबन्द किया जाता है कि वे राजस्व मौजा रतनपुरा पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण में स्थित भूमि खसरा संख्या 14 रकबा 27-18 बीघा, खसरा संख्या 19 रकबा 15-11 बीघा, खसरा संख्या 20 रकबा 08-10 बीघा, खसरा संख्या 22 रकबा 06-09 बीघा, खसरा संख्या 23 रकबा 31-15 बीघा, खसरा संख्या 24 रकबा 35-18 ब़ीघा, खसरा संख्या 25 रक़बा 13-07 बीघा, खसरा संख्या 26 रकबा 06-18 बीघा कुल खसरा संख्या 08 कुल रकबा 146-06 बीघा में वर्तमान भू अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे, वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण आदि नही करे। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

निर्णय आज दिनॉक 29/06/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:27:25 IST
Reason: SelfAttested